नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 133/2018

निर्णय दिनांक :–10.06.19

उनवानी दावा :

1. गोकुल पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. चतुर्भुज पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. जगदीश पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
4. दुर्गालाल पुत्र मथरा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–

श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता/दादा रामरतन वल्द धन्ना जाति माली की खातेदारी साबिक ख. नं. 1765 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि वादीगण के पिता/दादा रामरतन वल्द धन्ना का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से धन्ना वल्द रामरतन इन्द्राज हो गया था जबकि वादीगण के पिता/ दादा के अन्य खाता संख्या 542 साबिक ख. नं. 38, 1051, 2211 व खाता संख्या 152 साबिक ख. नं. 632, 635, 642, 650, 1079, 1080, 1092 वाके ग्राम देवलीगांव में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण के पिता/दादा का नाम रामरतन वल्द धन्ना सही इन्द्राज था, और है जबकि उक्त साबिक ख. नं. 1765 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में से सहवन से रामरतन पुत्र धन्ना के बजाय धन्ना वल्द रामरतन कर दिया गया। दौराने सेटलमेन्ट उक्त साबिक ख. नं. 1765 के नये ख. नं. 4190 रकबा 1.00 है0 बनाये गये। वादीगण के पिता/दादा ने कई बार उक्त वर्णित गलत इन्द्राज को सही करवाने के लिए कई बार राजस्व कर्मचारियों को कहा गया लेकिन गलत इन्द्राज को सही नहीं किया गया। वादीगण के पिता/दादा की मृत्यु के बाद वादीगण ने भी कई बार राजस्व कर्मचारियों को कहा लेकिन उक्त गलत अंकन को दुरूस्त नहीं किया है जबकि वादीगण

को पुश्तैनी भूमि में अपने पिता/दादा का नाम सही करवाकर उसका फौती नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर जब–तक वादीगण के पिता/दादा जिंदा रहे तथा उनका कब्जा–काश्त रहा, उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादीगण के पिता/दादा का सही नाम रामरतन पुत्र धन्ना सही अंकन करवाने हेतु यह वाद पत्र पेश है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख. नं. 1765 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा धन्ना वल्द रामरतन कौम माली के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मात्र कब्जे के आधार पर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित नहीं है। उक्त खसरा नम्बर रामरतन पुत्र धन्ना माली के नाम से आन्टन या नियमन हुआ है उसका कोई राजस्व रिकार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र कब्जे के आधार पर बिला नाम भूमि को वादीगण अपने नाम करवाना चाहते है। अतः वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 चतुर्भुज पुत्र रामरतन माली, साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 महादेव पुत्र नानाराम मीणा, साक्ष्य पी. डब्ल्यू–3 शंकर पुत्र कजोड़ के करवाये। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ने अपने बयान मे बताया कि मेरे पिताजी का नाम रामरतन व दादाजी का नाम धन्ना माली है। देवलीगांव में धन्ना पुत्र रामरतन जाति माली नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और इस जमीन पर राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से हमारे पिताजी का नाम रामरतन पुत्र धन्ना माली के बजाय धन्ना पुत्र रामरतन माली अंकित कर दिया गया। हमारे पिताजी रामरतन पुत्र धन्ना की मृत्यु हो चुकी है। इस जमीन में हमारे पिताजी का नाम व दादाजी का नाम उल्टा हाने से फौती नामान्तकरण हमारे नाम नही खुल पाता है। इस कारण इस भूमि में हाल ख. नं. 4190 रकबा 1.00 है0 वाके देवलीगांव में हमारे पिताजी का नाम धन्ना वल्द रामरतनप के बजाए रामरतन वल्द धन्ना माली इन्द्राज कर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। इसी अनुरूप हमारा दावा डिक्री किया जावे। इस दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 खतौनी जमाबन्दी हिजरी सम्वत 1359, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2046 खाता संख्या 309, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2036–39 खाता संख्या 289, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–5 जमाबन्दी खतौनी सम्वत 1359 फसली खाता संख्या 309, व जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 570, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 243 की छायाप्रतियां पेश की है। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से पी. डब्ल्यू–3 ने अपने बयान में बताया कि हाल ख. नं. 4190 रकबा 1.00 है0 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से रामरतन वल्द धन्ना जाति माली के स्थान पर धन्ना वल्द रामरतन जाति माली अंकित कर दिया जिसको दुरस्त कर रामरतन वल्द धन्ना जाति माली इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली में साक्ष्यवादी बंद कर प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य नहीं कराये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादी क्लीन हैंड से न्यायालय में आया है। वादी का हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम धन्ना वल्द रामरतन दर्ज है जिसको दुरूस्त करवाकर रामरतन पुत्र धन्ना करवाना चाहता है। अतः

न्यायालय से विनम्र अपील है कि वादी का वाद डिक्री किया जावे। तहसीलदार देवली ने जवाब के तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता व तहसीलदार की बहस पर मनन किया। वादी का हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम धन्ना वल्द रामरतन दर्ज है जिसको दुरूस्त करवाकर रामरतन पुत्र धन्ना करवाना चाहता है। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–5 खतौनी जमाबन्दी इस्तमरार सावर सन् फसली 1359 के कॉलम 3 में रामरतन वल्द धन्ना कौम माली साकिन देह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–1 खतौनी जमाबन्दी इस्तमरार सावर सन् फसली 1358 के कॉलम 4 में ख. नं. 1765 और कॉलम 3 में धन्ना वल्द रामरतन कौम माली साकिन देह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल संम्वत 2046–65 के अनुसार 1765 के हाल ख. नं. 4190 बनना बताया है जिस पर आज तक रामरतन पुत्र धन्ना का कब्जा काश्त है, यह मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 25.12.17 से साबित होता है। प्रदर्श–2 खेवट (खतौनी) के कॉलम 4 में धन्ना पुत्र रामरतन कौम माली दर्ज है, जिसके बाद की सभी जमाबन्दीयों में रामरतन वल्द धन्ना ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होता आया है। जबकि साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से 3 ने अपने दर्ज बयानो में बताया है रामरतन वल्द धन्ना नाम का कोई व्यक्ति देवलीगांव में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष सामने आता है कि प्रदर्श–5 में रामरतन पुत्र धन्ना दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है परन्तु बाद के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से धन्ना पुत्र रामरतन हो गया। यद्यपि तहसीलदार देवली ने अपने जवाब में बताया है कि वादी ने कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जबकि वादी ने राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–5 पेश किया है जिसके कॉलम 3 में रामरतन वल्द धन्ना कौम माली साकिन देह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः उक्त साक्ष्य, सबूतो के आधार पर तहसीलदार देवली को आदेश दिया जाता है कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम देवलीगांव के ख. नं. 4190 में दर्ज धन्ना पुत्र रामरतन कौम माली के बजाय रामरतन पुत्र धन्ना कौम माली दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.06.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली